न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात) चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	कमल सोनी, (RJS)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	22/2026 पी.एस. साहवा
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	146/2026
विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या	–	49/2026
CNR No	–	RJCH010006172026

1– बनवारीलाल पुत्र किशनाराम निवासी कालवास तहसील तारानगर पुलिस थाना, साहवा जिला–चूरू (राज.)

– आरोपी/प्रार्थी

वि रू द्ध

राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, चूरू (राजस्थान)

– अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित:–

1. श्री वरूण सैनी, योग्य अधिवक्ता – आरोपी/प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गोरधनसिंह, योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आ दे श:–

दिनांक: 01–06–2026

1– आरोपी/प्रार्थी की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अधीन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र की प्रति योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11–02–2026 को परिवादी पोकरराम ने हाजिर थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 10–02–2026 को सायं 8:00 बजे उसका भाई गोपीराम एक शादी समारोह (बलराम गोदारा के पुत्र की शादी) से खाना खाकर अपने घर लौट रहा था। जब वह बनवारीलाल के घर के सामने पहुंचा तो बनवारीलाल पहले से वहां खड़ा था, जिसने उसके भाई को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि "तुम नीच जाति के लोग हमारे घर के आगे से निकलते समय गर्दन झुका कर हाथ जोड़कर सलाम करके जाया करो, नहीं तो तुम लोगों को गांव से निकाल देंगे" तथा चमार, ढेड व चूड़ा कहकर अपमानित किया। उसके भाई द्वारा विरोध करने पर बनवारीलाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी तथा उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर घसीट कर ले गया। इस दौरान उसका भाई भजनलाल पुत्र किशनाराम घर के बाहर पहरा देता रहा ताकि कोई व्यक्ति छुड़ाने न आ सके। घर के अंदर गांव के अन्य प्रभावशाली लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर पूर्व नियोजित रूप से उसके भाई के साथ गंभीर मारपीट उसके भाई की बेहरमी से हत्या कर दी तथा शव को रास्ते में फेंक दिया। साथ ही उन्हें एवं उनके परिवारजनों को धमकी दी कि यदि कोई शव को हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल करेंगे, वगैरह वगैरह। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर

Authenticate Document

पी.एस. साहवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 22/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वर्तमान में बहस चार्ज के स्तर पर लम्बित है।

3– बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। योग्य अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थी का यह तर्क रहा कि आरोपी/प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बनावटी है एवं कपोल कल्पित है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। परिवादी द्वारा अपने भाई मृतक को आरोपी/प्रार्थी द्वारा जबरदस्ती घसीट कर ले जाने का तथ्य अंकित किया हुआ है, जबकि पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान घटना स्थल की विडियोग्राफी की गई थी, जिसमें आरोपी/प्रार्थी का घर मृतक की लाश के स्थान से करीब 200–250 मीटर दूरी पर स्थित है, जहां पर मृतक को घसीट कर ले जाने व घर से वापिस लाने के कोई अलामात नहीं दिखाई दिये हैं। मृतक के दिनांक 10–02–2026 को शराब के नशे में धुत होने के कारण रास्ते में पड़ी ईंट पर सिर के बल गिरने से आई चोटों के उपरांत किसी व्यक्ति द्वारा उसे समय पर नहीं संभालने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। घटना स्थल पूर्णतया आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके आस पास में काफी लोगों के आबाद होकर मकानात बने हुए होने के बावजूद अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना स्थल के आस पड़ौस के किसी भी व्यक्ति के बयान नहीं लिये हैं, जिससे संपूर्ण अनुसंधान ही संदेहास्पद रह जाता है। प्रकरण में आरोप पत्र के साथ मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा केवल एक ही चोट का वर्णन किया गया है, जिसमें भी चोट की अवधि एवं लम्बाई, चौड़ाई व गहराई के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा डंडे पर किसी प्रकार का खून लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। आरोपी/प्रार्थी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी/प्रार्थी के भागने या रूहपोश होने की संभावना नहीं है। आरोपी/प्रार्थी दिनांक 11–02–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी/प्रार्थी घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में होने से उसके परिवार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आरोपी/प्रार्थी मौतबीर जमानतें पेश करने को तैयार है। अतः आरोपी/प्रार्थी को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4– योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये आरोपी/प्रार्थी का जमानत आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया। आरोपी/प्रार्थी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से हैंः–

क्र.सं.	नम्बर मुकदमा	पुलिस थाना व धारा	चालान	वर्तमान स्थिति
01	--	--	--	--

Authenticate Document

5– बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरोपी/प्रार्थी पर परिवादी के भाई (मृतक) के सिर में लाठी से वार कर उसकी हत्या करने के धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के गंभीर अपराध के आरोप होकर उक्त आपराधिक धाराओं में आरोप पत्र पेश होकर पत्रावली वर्तमान में बहस चार्ज के स्तर पर लम्बित है। हालांकि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वयं द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र में घटना स्थल पर लिखित रिपोर्ट में वर्णितानुसार घटना से संबंधित अलामात नहीं होने एवं मृतक के वर वक्त घटना शराब पिया होकर रास्ते में पड़ी ईंटों पर गिरने से आई चोटों से किसी व्यक्ति द्वारा समय पर नहीं संभालने से उसकी मृत्यु होना अंकित किया हुआ है, जो कि साक्ष्य का विषय है। इस स्तर पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अभियुक्त को मिथ्या ही संलिप्त किया गया हो। प्रकरण अभी विचारण के प्रारंभिक स्तर पर होकर बहस आरोप/मुख्य गवाहन की साक्ष्य होना शेष है। अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप है। लिहाजा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए आरोपी/प्रार्थी को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश: –

6– लिहाजा आरोपी/प्रार्थी बनवारीलाल पुत्र किशनाराम निवासी कालवास तहसील तारानगर पुलिस थाना, साहवा जिला–चूरू (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(कमल सोनी)

7. आदेश आज दिनांक 01–06–2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

MAHESH KUMAR BOHRA
Digitally signed by MAHESH KUMAR BOHRA
Date: 2026.06.02 07:45:59 +0530

(कमल सोनी)

Authenticate Document